



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड  
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

पत्रांक :- 185 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.)02 / 2009 टीसी.

दिनांक : 04 अक्टूबर, 2017

### विस्तारित निविदा सूचना

इस विभाग के पत्र संख्या 174 / सू.एवं.लो.सं.वि. (फो0प्रभाग)02 / 2009 टीसी दिनांक 22 सितम्बर 2017 के माध्यम से विभिन्न समाचार चैनलों पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकार्डिंग करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फर्मों से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 03 अक्टूबर 2017 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किये गये थे। जिसकी समय सीमा को आगामी दिनांक 12 अक्टूबर 2017 सांय 05 बजे तक विस्तारित किया जाता है।

प्राप्त निविदा प्रस्तावों को विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2017 को सांय 04 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति/अनुपस्थिति दोनों की दशाओं में खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 05 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2017 अपरान्हन 02 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में विभाग क लेखा प्रभाग में रु. 500/- जीएसटी (नियमानुसार) जमा कर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट <http://www.uttarainformation.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड की गई निविदा का मूल्य ₹ 500/- + जीएसटी नियमानुसार निविदा जमा करने की तिथि तक निविदादाता फर्म को विभाग के खजाने में नगद के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त ही उनकी निविदा पर विचार किया जायेगा।

3. निविदादाता फर्म का कार्यालय देहरादून में होना आवश्यक है। उक्त आशय का प्रमाण-पत्र संश्लेषित फर्म की अपने प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा।

4. फर्म के कार्यालय में लगाभर चैनलों की रिकार्डिंग हेतु व्यापक (पंकज कुमार पाण्डेय) महानिदेशक उपस्थित आवश्यक होगा।

5. फर्म को जीएसटी के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. निविदादाता फर्म का न्यूनतम टर्नओवर रु. 5 लाख (रु. पांच लाख) मात्र होना चाहिए, जिसकी पुष्टि में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की बैलेंस शीट, सीओएच द्वारा प्रमाणित संलग्न करनी होगी।



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड  
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

E-mail : infodg.uk@gmail.com

पत्रांक : - 186 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.)02 / 2009 टी.सी

दिनांक : 04 अक्टूबर, 2017

निविदा मूल्य ₹ 500/- + जीएसटी नियमानुसार

### निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र क्रय करने की अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर, 2017 अपरान्ह 02 बजे तक।
2. मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर, 2017 सांय 5.00 बजे तक।
3. मुहरबन्द निविदा खुलने की तिथि 13 अक्टूबर, 2017 सांय 4.00 बजे।

अपर निदेशक  
कृते महानिदेशक  
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून

विभिन्न समाचार चैनलों पर प्रसारित उत्तराखण्ड राज्य विषयक समाचारों की रिकार्डिंग हेतु निविदा की

शर्तें

तकनीकी शर्तें

फर्मों का चयन निम्न नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा:-

1. निविदादाता फर्म के पास एक समय में बीस या बीस से अधिक टी.वी. चैनल्स की रिकार्डिंग करने के लिए पर्याप्त उपकरण एवं कार्मिकों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा:-  
(अ) कम्प्यूटर्स की कुल संख्या:- (विन्डो-7.....) (विन्डो-8.....) विन्डो-10.....)  
(ब) यू.पी.एस. की कुल संख्या:- बैकअप सहित उल्लेख करें :-  
(स) प्रिन्टर्स की कुल संख्या:- नाम सहित उल्लेख करें:-  
(द) स्केनर की उपलब्धता :-  
(य) इन्टरनेट कनेक्शन की उपलब्धता:-
2. फर्म को चैनलों की रिकार्डिंग हेतु नियुक्त स्टाफ का पूरा विवरण उसके नाम, पदनाम सहित उपलब्ध कराना होगा।
3. निविदादाता फर्म का कार्यालय देहरादून में होना आवश्यक है। इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित फर्म को अपने प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा।
4. फर्म के कार्यालय में समाचार चैनलों की रिकार्डिंग हेतु व्यावसायिक विद्युत संयोजन का होना आवश्यक है। जिसके लिए वास्तविक अभिलेख/प्रमाण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
5. फर्म को जीएसटी. के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. निविदादाता फर्म का न्यूनतम टर्नओवर रु. 5 लाख ( रु. पांच लाख) मात्र होना चाहिए, जिसकी पुष्टि में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की बैलेंस सीट, सी0ए0 द्वारा प्रमाणित संलग्न करनी होगी।

7. विगत तीन वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17) का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
8. फर्म को किसी सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम के लिए संदर्भित कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता फर्म को प्रस्ताव के साथ रु. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बनाकर संलग्न करना होगा।
10. फर्म को नियमानुसार भुगतान आयकर की कटौती करने के उपरान्त किया जायेगा, जिसके लिए फर्म को अपना पैन नम्बर (PAN NO.) उपलब्ध कराना होगा।
11. तकनीकी निविदा में सफल पाये जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

#### अन्य शर्तें

1. निविदादाता फर्म को प्रतिदिन अलग-अलग चैनलों द्वारा प्रसारित समाचारों की रिकार्डिंग कर उसकी डी.वी.डी. दूसरे दिन प्रातः 8 बजे तक सूचना अधिकारी, प्रचार यूनिट (मीडिया सेन्टर सचिवालय) को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करानी होगी। फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली डी.वी.डी. पर चैनल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में विभाग की मांग के अनुरूप रिकार्ड किए गए समाचारों की डी.वी.डी. आधे घण्टे में उपलब्ध करानी होगी।
2. विभाग द्वारा वांछित सभी चैनलों (देहरादून के केबिल नेटवर्क/डीटीएच पर उपलब्ध) की रिकार्डिंग करनी होगी। फर्म को प्रत्येक माह में की गई कुल रिकार्डिंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पर रिकार्ड कर विभागीय रिकार्ड हेतु जमा करानी होगी। यदि हार्ड डिस्क विभाग द्वारा दी जाती है तो इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं होगा अन्यथा फर्म द्वारा घोषित दरों पर हार्ड डिस्क का भुगतान किया जायेगा।
3. निविदादाता फर्म को विभाग की मांग पर अल्पावधि में भी वांछित चैनलों पर प्रसारित समाचारों का लिखित विवरण, (हार्ड डिस्क में) उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त विभाग की आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों एवं राजनितिक/सामाजिक/आर्थिक समाचारों से संबंधित रिकार्डिंग तथा आवश्यकता पडने पर किसी अतिरिक्त चैनल की रिकार्डिंग कर उसकी डीवीडी तथा दूरभाष/मोबाइल पर उसकी रिपोर्टिंग तथा उल्लेखित समस्त कार्यों की एक अतिरिक्त प्रति विभागीय रिकार्ड हेतु उपलब्ध करानी होगी।
4. निविदादाता फर्म को, विभाग द्वारा वांछित समाचार चैनलों की गुणवत्तापूर्ण रिकार्डिंग करनी होगी। यदि रिकार्डिंग की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो बीजक का भुगतान रोक दिया जायेगा।
5. प्रत्येक आधे घण्टे में किस चैनल में उत्तराखण्ड सरकार से संबंधित क्या समाचार प्रसारित हुए, इसकी रिपोर्टिंग दूरभाष/मोबाइल पर विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारियों को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। जिसके लिए फर्म को अतिरिक्त रूप से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाता फर्म को वित्तीय प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप-2 पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिन फर्मों के वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप-2 पर उपलब्ध नहीं होंगे उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. सफल निविदादाता, जिसके पक्ष में संविदा दी जायेगी, उसे कार्य करने से पूर्व रू. 50,000/- ( रू0 पचास हजार) मात्र धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में विभाग में बंधक करनी होगी, जो आदाता के नाम (एकाउन्ट पेई), सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में होगी।
8. चयनित फर्म को रू. 100/- के स्टाम्प पेपर में इस विभाग के साथ अनुबन्ध करना होगा।
9. फर्म का कार्य संतोषजनक न होने तथा समय से समाचारों/संदेशों की रिकार्डिंग उपलब्ध न कराने की दशा में अनुबन्ध निरस्त करते हुए किसी अन्य फर्म को कार्य आवंटित करने का अधिकार सूचना महानिदेशक को होगा।
10. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के कार्यालय, स्टाफ, कार्यालय में उपलब्ध उपकरणों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान समुचित उपकरण एवं कार्मिकों की उचित व्यवस्था न पाये जाने पर कार्यदेश निरस्त किया जा सकता है। समिति द्वारा आवश्यकता पडने पर निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय निविदा खोलने का निर्णय भी लिया जा सकता है। इस विषय में अंतिम निर्णय विभागीय समिति को होगा।
11. फर्म को तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक-पृथक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। उक्त प्रस्तावों के ऊपर स्पष्ट रूप से 'तकनीकी प्रस्ताव' एवं 'वित्तीय प्रस्ताव' एवं फर्म का पता लिखा होगा। तदुपरान्त उक्त दोनों लिफाफे एक अन्य सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत करने होंगे। उक्त लिफाफे के ऊपर "इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित समाचारों की रिकार्डिंग हेतु प्रस्ताव" एवं फर्म का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पास बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. किसी भी दशा में विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
14. वित्तीय प्रस्तावों में धनराशि का अंकन शब्दों में तथा अंकों में किया जाना आवश्यक होगा। इसमें भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित धनराशि को अंतिम माना जायेगा।

**नोट :-** इच्छुक फर्म अपने प्रस्ताव महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम सील बन्द लिफाफे में, नियत तिथि एवं समय के अन्तर्गत, विभाग के इलेक्ट्रानिक प्रभाग में उपलब्ध करा सकते हैं। अपूर्ण प्रस्तावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

महानिदेशक,  
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड,  
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

प्रारूप -2

(वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	विवरण	दर (₹ में)
1.	टी.वी. चैनल पर प्रसारित होने वाले उत्तराखण्ड से संबंधित समाचारों की रिकार्डिंग करने की दर (डीवीडी सहित) (एक डीवीडी में एक से अधिक चैनल रिकार्डिंग कर सकते हैं। ) (रिकार्डिंग को हार्ड डिस्क में उपलब्ध करना होगा)	प्रति चैनल/प्रतिदिन की दर (₹ में) →	
2.	रिकार्ड किए गए चैनल पर प्रसारित समाचारों का लिखित विवरण की प्रति उपलब्ध करने की दर प्रति चैनल प्रतिदिन की दर (लिखित विवरण को कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रति चैनल प्रति दिन हार्ड डिस्क में भी दिनांकवार उपलब्ध कराना होगा।)	प्रति चैनल प्रति दिन की दर (एक प्रति हेतु) (₹ में) →	
3.	समय-समय पर मांग के अनुसार अतिरिक्त चैनलों की रिकार्डिंग करने की दर (डीवीडी सहित) (एक डीवीडी में एक से अधिक चैनल रिकार्डिंग कर सकते हैं।) (रिकार्डिंग को हार्ड डिस्क में उपलब्ध कराना होगा)	प्रति चैनल/प्रतिदिन की दर (₹ में) →	
4	प्रति माह हार्ड डिस्क पर की गई रिकार्डिंग विभागीय स्टॉक हेतु (एक्सटर्नल हार्ड डिस्क) EXTERNAL HARD DISK की दर	1000 जीबी (1 TB ) हार्ड डिस्क की दर (₹ में) →	
		500 जीबी हार्ड डिस्क की दर (₹ में) →	
5	मांग के अनुसार फुटेज उपलब्ध कराने हेतु	08 जीबी पैन ड्राइव दर →	
		16 जीबी पैन ड्राइव दर →	
		डीवीडी दर →	
		03 से 05 मिनट अवधि की क्लिपिंग वाट्सएप पर उपलब्ध कराये जाने पर प्रति वाट्सएप क्लिपिंग की दर →	

फर्म का नाम : .....

पता : .....

टेलीफोन/मोबाइल नम्बर : .....

प्रोपराइटर के हस्ताक्षर : .....

( विक्रम कुमार पाण्डेय )  
सहनिदेशक